

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना ।

NIT. No. 10 वर्ष - 2017-18

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा।
2. निविदा निर्गत करने की तिथि : 04.10.2017
3. परिमाण विपत्र की बिक्री तिथि एवं समय : दिनांक- 06.10.2017 से 11.10.2017 समय- 1 बजे अपराह्न तक।
(अवकाश के दिनों को छोड़कर)।
4. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय : दिनांक- 12.10.2017 समय- 03.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 12.10.2017 समय- 03:30 बजे अपराह्न।
6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान/कार्यालय : (क) सहायक अभियंता, प0नि0वि0, पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा।
(ख) कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0, पथ प्रमंडल, मधेपुरा।
(ग) अधीक्षण अभियंता, प0नि0वि0, पथ अंचल, सहरसा।
7. कार्य का विवरण :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु.में)	अग्रघन की राशि (रु.में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु.में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत ग्वालपाड़ा से बिहारीगंज पथ के कि.मी. 2.0 से 5.0 के पथांशों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त भागों में यातायात पुर्नस्थापन कार्य। वर्ष 2017-18	9,42,000.00	18,900.00	1250.00	15 दिन	अनारक्षित वर्ग के लिए
2.	पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत ग्वालपाड़ा से बिहारीगंज पथ के कि.मी. 6.0 से 8.0 के पथांशों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त भागों में यातायात पुर्नस्थापन कार्य। वर्ष 2017-18	7,94,700.00	15,900.00	1250.00	15 दिन	पिछड़ा वर्ग के लिए

8. निविदादाता को ठिकेदारी निबंधन नियमावली- 2007 के अन्तर्गत स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (IV) मधेपुरा जिला अन्तर्गत में निबंधन (अद्यतन नवीकृत) होना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
9. फर्म अथवा कम्पनी के मामले में निविदादाताओं को अपनी निविदा के साथ पार्टनर डीड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता को परिमाण विपत्र क्रय करने हेतु आवेदन-पत्र के साथ निबंधन-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जो, लौटाया नहीं जायेगा, किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक शाखा से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा के पदनाम से हो तथा भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, मधेपुरा में भुगतये हो के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
11. निविदादाओं को अग्रघन की राशि के रूप में (आठवें निर्गम राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र) एवं तीन/पाँच वर्षीय सावधिक जमा पासबुक (मधेपुरा जिला अन्तर्गत किसी भी डाकघर से निर्गत हो) जो कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी।
12. निविदादाता को परिमाण विपत्र क्रय करने से पूर्व अद्योहस्ताक्षरी से अग्रघन की राशि को प्रतिज्ञित करने हेतु आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. अग्रघन की राशि को कार्यपालक अभियंता, प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा के पक्ष में होना चाहिए।
14. निविदादाता को अपनी निविदा में दर प्रतिशत अधिक/कम परिमाण विपत्र में अंकित दरों पर अंकित करना होगा।

15. निविदा समर्पित करने से पूर्व सभी निविदादाता संबंधित कार्यस्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। बाद में इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, एवं सशर्त निविदा अमान्य होगी।
16. कार्यों के प्राक्कलित राशि, अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निर्गत किया जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कागजात में अंकित विपत्र की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य ही अंतिम तौर पर मान्य होगा।
17. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रघन की राशि पर किसी प्रकार का कोई सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
18. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ आयकर, पेन कार्ड, वेट प्रमाण-पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, श्रम लाईसेंस अद्यतन तथा नवीकृत निबंधन-पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. बिना कारण बताए निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरित को सुरक्षित है।
20. अन्य कोई भी सूचना अथवा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में आवेदन देकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
21. परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रघन की राशि देय होगी।
22. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
23. इस कार्य की निविदा स्थानीय स्तर पर वृहत प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमंत्रित कर कार्य कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा के पत्रांक- 1029 (अनु०), दिनांक- 21.09.2017 के द्वारा आदेश प्राप्त है।
24. अग्रघन की राशि दो प्रतिशत 3 Years TD/NSC/KVP इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञित कर निविदा कागजात के साथ जमा करना होगा।
25. निविदा कागजात के साथ इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि संवेदक को किसी भी निविदा में भाग लेने से डिवार/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

301-

कार्यपालक अभियंता
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प०नि०, दिनांक...../

प्रतिलिपि :- अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/कुमारखंड स्थित मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।

301-

कार्यपालक अभियंता
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प०नि०, दिनांक...../

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार-प्रसार करने हेतु समप्रेषित।

301-

कार्यपालक अभियंता
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक 876 /प०नि०, दिनांक 04/10/17 /

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।

K. Alam
04/10/17
कार्यपालक अभियंता
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा
21/10/17